		12/3 जगदीश पुत्र छोटाराम 12/4 सुरेश पुत्र छोटाराम 12/5 अनु उर्फ अनुडी पुत्री छोटाराम 12/6 पूजा पुत्री छोटाराम 12/7 कविता पुत्री छोटाराम नाबालिग 12/6 व 12/7 जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती हवली देवी पत्नि छोटाराम, समस्त–जातियान् मेघवाल, निवासी–खारड़ा भांडु, तहसील–लूणी, जिला–जोधपुर 13. गोगली पुत्री गोकलराम पत्नि ढलाराम, जाति मेघवाल, निवासी–सरेचा, तहसील–लूणी, जिला–जोधपुर 14. बायचन्द पुत्री गोकलराम पत्नि बाबूलाल, जाति मेघवाल, निवासी–खाटावास, तहसील– लूणी, जिला–जोधपुर 15. गीतादेवी पुत्री गोकलराम पत्नि जेठराम, निवासी–धवा, तहसील– लूणी, जिला–जोधपुर 16. उकीदेवी पुत्री गोकलराम पत्नि मानाराम, जाति मेघवाल, निवासी–खाटावास, तहसील– लूणी, जिला–जोधपुर 17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, लूणी जिला जोधपुर ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार गौड़।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास सोनी।
3. प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से सरकारी पैरोकार ।

निर्णय दिनांक : 17/1/2018

उभयपक्षों द्वारा दिनांक 24.07.2017 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खारडा भांडु तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 15 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 15/1 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 15/2 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, कुल भूमि 28 बीघा 9 बिस्वा भूमि आई हुई है । व्यक्त किया कि वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व खोतदार रेखा पत्नि महेन्द्र जाति मेघवाल साकिन स्टेशन रोड, सालावास, जिला जोधपुर के नाम दर्ज है । कथन किया कि राजीनामा अनुसार उक्त कुल भूमि 28 बीघा 09 बिस्वा में से प्रतिवादीगण पुरखाराम उर्फ पुकाराम, कालुराम पिसरान श्री गोकलराम के हिस्से में 13 बिस्वा, माणकराम पुत्री तिलाराम के हिस्से में 13 बिस्वा, बक्साराम पुत्र लाबूराम के हिस्से में 10 बिस्वा तथा मिश्राराम पुत्र श्री लाबूराम के हिस्से में 06 बिस्वा कुल 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि के मालिकाना हक, स्वामित्व, कब्जा उपरोक्त प्रतिवादीगण का यथावत रहेगा । अतः तदनुसार उक्त भूमियों का प्रतिवादीगण पुरखाराम उर्फ पुकाराम, कालुराम, माणकराम, बक्साराम, मिश्राराम को खातेदार घोषित किये जाते है । व्यक्त किया कि

17/1/2018
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

पूर्व खातेदार प्रतिवादीनी श्रीमती हीरकी पुत्री मालाराम पत्नि मदनलाल जाति मेघवाल द्वारा रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि जो रेखा पत्नि महेन्द्र जाति मेघवाल साकिन स्टेशन रोड़, सालावास, जिला जोधपुर को बेचान की गई थी, उक्त भूमि रेखा के नाम यथावत रहेगी। अतः रेखा को उक्त 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इस बावत् वादीगण अथवा प्रतिवादीगण को कोई उजर ऐतराज नही होगा। न ही भविष्य में कभी उजर ऐतराज करेंगें। माफिक राजीनामानुसार वादग्रस्त भूमि 28 बीघा 09 बिस्वा भूमि मे से उक्त 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि के अलावा शेष भूमि 23 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर वादीगण नरेन्द्र गोस्वामी व विश्राम रेगर का मालिकाना हक, स्वामित्व, अधिकार रहेगा। अतः उक्त 23 बीघा 04 भूमि का वादीगण नरेन्द्र गोस्वामी व विश्राम रेगर को खातेदार घोषित किये जाते है। इसमें प्रतिवादीगण अथवा उनके वारिसान, आल औलाद को कोई उजर ऐतराज नही होगा। न ही भविष्य में कभी भी उजर ऐतराज करेंगें। पक्षकारान् का कब्जा राजीनामा के साथ संलग्न नक्शानुसार रहेगा। स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि कोई भी पक्षकार एक दुसरे के हिस्से में आई भूमि में कब्जे, काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नही करेंगें। उपरोक्त अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर लगान अलग–अलग कायम करे। राजीनामा एवं उसके साथ संलग्न नक्शा इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

17/1/2018

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 17/1/2018 लिखवया जाकर बसरे इजलाज सुनाया गया।

17/1/2018

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner